भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4885
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2026
2 चैत्र, 1948 (शक)

राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 और संस्थागत निरीक्षण तंत्र का कार्यान्वयन

4885. श्री विजय बघेल :
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री शंकर लालवानी:
श्री तापिर गाव:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री महेश कश्यपः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और संबद्ध निकायों, विशेषकर महाराष्ट्र में इसके अनुपालन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) राष्ट्रीय खेल बोर्ड की संरचना, शक्तियों और प्रचालनात्मक ढांचे का ब्यौरा क्या है और यह उक्त परिसंघों की मान्यता, निगरानी और आवधिक अनुपालन की समीक्षा किस प्रकार करता है;

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत शासी मानकों, पारदर्शिता मानकों, कार्यकाल प्रतिबंधों, वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यकताओं और खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के प्रावधान के संबंध में उपबंधों का ब्यौरा क्या है और इसके अनुपालन की अब तक स्थिति क्या है;

(घ) क्या संस्थागत जवाबदेही, विवाद समाधान के लिए समय-सीमा और निधि से संबद्ध निष्पादन निगरानी तंत्र के संबंध में कोई स्पष्ट प्रभाव देखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुपालन न करने वाले परिसंघों के विरुद्ध की गई किसी सुधारात्मक कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (एनएसजी अधिनियम 2025) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 1(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.2025 को एनएसजी अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों/धाराओं को अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन को सुकर बनाने हेतु दो नियम भी अधिसूचित किए हैं, अर्थात्:

i. दिनांक 08.01.2026 को अधिसूचित राष्ट्रीय खेल बोर्ड (खोज-सह-चयन समिति) नियम, 2026,
ii. दिनांक 12.01.2026 को अधिसूचित राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026।

दिनांक 12.01.2026 को अधिसूचित राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 के नियम 18(1) के तहत प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने उपनियमों में छह माह के भीतर संशोधन करना अनिवार्य है। मंत्रालय ने अपने दिनांक 28.01.2026 के पत्र के तहत सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को निदेश दिया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने संविधान या उपनियमों, संस्थागत प्रक्रियाओं और संचालन को इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित वैधानिक ढ़ांचे के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं।

संबद्ध निकायों द्वारा अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि एनएसजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त खेल संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि उसके सभी वोटिंग सदस्य और संबद्ध इकाइयाँ, जैसा लागू हो, अंतरराष्ट्रीय चार्टर और अधिनियमों, जैसा लागू हो, का अनुपालन करें तथा उनमें निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करें, कर्तव्यों का पालन करें और कार्यों का निर्वहन करें; तथा साथ ही इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का भी पालन करें।

एनएसजी अधिनियम 2025 के अध्याय III और अध्याय IV में राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) की संरचना, शक्तियों और कार्यों का विवरण दिया गया है तथा यह भी बताया गया है कि वह खेल संगठनों को मान्यता प्रदान करने और संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण आदि के संबंध में अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करेगा।

राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 के साथ पठित एनएसजी अधिनियम 2025 की धारा 4, राष्ट्रीय खेल निकायों की आम सभा एवं कार्यकारी समिति में

शासन के मानक, पारदर्शिता की आवश्यकताएँ और एथलीटों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करती है। ये नियम आम सभा में कम से कम चार उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों (एसओएम) को शामिल करना अनिवार्य बनाते हैं। आम सभा में महिला एसओएम का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ये नियम विशेष रूप से आम सभा में पचास प्रतिशत महिला एसओएम के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करते हैं। ये नियम खेल उपलब्धियों के आधार पर एसओएम के प्रतिनिधित्व के लिए पात्रता और श्रेणीबद्ध मानदंड भी निर्धारित करते हैं; इनके अनुसार आवेदकों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, सक्रिय खेलों से संन्यास ले चुके हों और आवेदन करने से कम से कम एक वर्ष पूर्व तक उन्होंने ऐसे किसी भी प्रतिस्पर्धी आयोजनों में भाग न लिया हो जिसके परिणामस्वरूप इन्हें जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला हो। इसके अतिरिक्त, ये नियम आम सभा या किसी भी समिति की सदस्यता के लिए अयोग्याएं भी निर्दिष्ट करते हैं; इनमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो-ऐसे व्यक्तियों को इन पदों पर रहने, कार्यकारी समिति अथवा एथलीट समिति के चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

मंत्रालय ने अपने दिनांक 28.01.2026 के पत्र के तहत सभी मान्यता प्राप्त एनएसएफ को निदेश दिया है कि वे छह माह की अवधि के भीतर, अपने संविधान या उपनियमों, संस्थागत प्रक्रियाओं और संचालन को इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित वैधानिक ढ़ांचे के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं।
